(22)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. पुनर्विलोकन /III/2016-रीवा

राजाराम तनय श्री सुखदेवराम निवासी–ग्राम जोन्ही तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र. .....आवेदक

बनाम

1. सम्पत्ति कुमार तनय श्री सुखदेव राम उम्र 88 वर्ष पेशा खती
2. राजभान तनय श्री छोटेलाल उम्र 62 वर्ष पेशा पेन्शनर व खेती निवासी ग्राम जोन्ही तहसील जिला रीवा म.प्र. हाल पता खितौला बस्ती वार्ड क्र. 12 तहसील सिहोरा जिला जबलपुर म.प्र.
3. रामसुफल तनय श्री छोटेलाल उम्र 60 वर्ष पेशा पेन्शनर व खेती निवासी ग्राम जोन्ही तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र. हाल पता विजय नगर छपर तहसील जबलपुर जिला जबलपुर म.प्र.
4. श्रीमती मीरा पुत्री स्व. अमोल प्रसाद पत्नी चन्द्रमणि प्रसाद त्रिपाठी निवासी ग्राम पिपराह तहसील सिरमौर जिला रीवा
5. अनूप कुमार तनय स्व. अमोल प्रसाद निवासी ग्राम जोन्ही तहसील जिला रीवा म.प्र.
6. रजीनश कुमार तनय स्व. अमोल प्रसाद निवासी ग्राम जोन्ही तहसील जिला रीवा म.प्र.
7. धनवन्ती देवी पत्नी ठाकुर प्रसाद निवासी ग्राम जोन्ही तहसील जिला रीवा म.प्र.
8. अंगद प्रसाद तनय श्री ठाकुर प्रसाद
9. अशोक कुमार तनय ठाकुर प्रसाद
10. रावेन्द्र कुमार तनय ठाकुर प्रसाद
11. प्रवीण कुमार तनय ठाकुर प्रसाद निवासी ग्रा. जोन्ही तहसील जिला रीवा म.प्र.
12. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर रीवा

.....अनावेदकगण

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र धारा 51 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरुद्ध आदेश सदस्य श्री आशीष श्रीवास्तव राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक निगरानी 3368/III/2014 सम्पत्ति कुमार आदि बनाम राजाराम आदि आदेश दिनांक 24.02.2016 को पारित।

माननीय न्यायालय,

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

1. यहकि, निगरानी का आदेश दिनांक 24.02.2016 विधिविधान क्षेत्राधिकार वहाय होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, निगरानी का आदेश दिनांक 24.02.2016 में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड बिना मंगाये किया गया ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
3. यहकि, निगरानी प्रकरण क्रमांक 3368 III/2014 में पारित आदेश में प्रार्थी/पुनर्विलोकनकर्ता को बिना सुने बिना पक्ष समर्थन के एकतरफा जो आदेश पारित किया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
4. यहकि, निगरानी प्रकरण क्र. 3368 III/2014 में अनावेदक क्रमांक 4 से लेकर 12 तक को बिना नोटिस दिये बिना पक्षसमर्थन के जो एकतरफा आदेश पारित किया है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
5. यहकि, उक्त प्रकरण में निगरानीकर्तागण ने राजस्व न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय में वसीयत के आधार पर हक लेने हेतु प्रकरण चालू किये जिसमें निगरानीकर्तागणों के खिलाफ व्यवहार न्यायालय न्यायाधीश वर्ग-2 रीवा म.प्र. समक्ष अरविन्द कुमार शर्मा व्यवहार प्रकरण क्रमांक 2ए/2009 संस्थित दिनांक 11.07.2008 रामकुशल मिश्रा विरुद्ध राजाराम आदेश दिनांक 02.11.2010 में सिविल न्यायसालय ने निगरानीकर्तागणों के विरुद्ध जो आदेश पारित किया उक्त आदेश को छुपाकर श्रीमान के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 1066–दो/2016 पुनरावलोकन जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/9/17	पूर्व पेशी पर आवेदक एंव अनावेदक क. 1,5,6 के अभिभाषक के तर्क सुने जा चुके हैं। शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। प्रकरण आदेश प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह पुनरावलोकन आवेदन तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल,म.प्र. ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 3368–तीन/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24–2–16 पर से म0प्र0भू.राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि इस प्रकरण में अनावेदक कमांक 1 से 3 के खिलाफ व्यवहार न्यायालय से आदेश हो चुके है फिर भी आदेश दिनांक 24–2–16 से निगरानी स्वीकार करने में भूल की गई है एंव अनावेदक कमांक 4 से 12 को सुने बिना आदेश पारित हुआ है इसलिये पुनरावलोकन स्वीकार किया जावे। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल,म.प्र. ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 3368–तीन/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24–2–16 के अवलोकन पर पाया गया कि इस आदेश अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार है :– **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 5–7–14 निरस्त किया जाता है तथा अनु.अधि. का आदेश दिनांक 5–2–07 स्थिर रखा जाता है तथा तह. को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्ष को सुनवाई एंव पक्ष समर्थन का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण में पारदर्शिता के साथ स्पष्ट एंव विधिसंगत बोलता हुआ आदेश पारित करें। "**	

तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल,म.प्र. ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 3368–तीन/2014 निगरानी में आदेश दिनांक 24–2–16 पारित करके मामला तहसीलदार को हितबद्व पक्षकारों को सुनकर विधिवत् आदेश पारित करने हेतु वापिस किया है । तहसीलदार के समक्ष आवेदक एंव अनावेदकगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्राप्त है एंव व्यवहार न्यायालय से यदि इन पक्षकारों एंव वादोक्त भूमि के संबंध में निर्णय हुए है, पक्षकार तहसीलदार के समक्ष व्यवहार न्यायालयों के आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्रस्तुत करके तद्नुसार कार्यवाही करा सकते हैं । जहॉ तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल,म.प्र. ग्वालियर के आदेश दिनांक 24–2–16 के पुनरावलोकन का प्रश्न है। संहिता की धारा 51 में पुनरावलोकन के लिये निम्न आधार दिये हैं –

1. नवीन या सारपूर्ण साक्ष्य ज्ञात होना जो पक्षकार के ज्ञान में आदेश दिये जाने से पूर्व नहीं रही और उसके व्दारा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी।
2. मामले के अभिलेख से ही कोई प्रकट भूल या गलती ।
3. कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदकगण के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके हैं कि तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर के प्रकरण कमांक 3368–तीन/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24–2–16 को उक्त में से किन आधारों पर पुनरावलोकन किया जाय। पुनरावलोकन आवेदन सारहीन पाये जाने से अमान्य किया जाता है।

सदस्य